उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-15/2020/1223/77-6-2020-एल0सी0-02/2018टी.सी.-2

लखनऊः दिनांक 02 जून, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या-633/77-6-19-एल.सी. 2/2018 दिनांक 05.09.2019 द्वारा निर्गत "उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त /नियमावली के प्रस्तर-2.2 एवं प्रस्तर-2.19 में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

संख्या-633/77-6-19-एल.सी.02/18 द्वारा निर्गत नियमावली का प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर 2.2	"छूट की अधिकतम सीमा" नीति के अन्तर्गत परिभाषित परियोजनाओं हेतु प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट आदि समस्त प्रोत्साहन परिभाषित इकाइयों द्वारा किए गए स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा तक होंगें तथा वार्षिक अधिकतम सीमा स्थाई पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत होगी।	"छूट की अधिकतम सीमा" नीति के अन्तर्गत परिभाषित परियोजनाओं हेतु प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट आदि समस्त प्रोत्साहन परिभाषित इकाइयों द्वारा किए गए स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा तक होंगें तथा वार्षिक अधिकतम सीमा स्थाई पूंजी निवेश की 20 प्रतिशत होगी।
प्रस्तर 2.19	"सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट अथॉरिटी) से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी (अथॉरिटी) से है, जिनके द्वारा मानचित्र को अनुमोदित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (अथॉरिटी) उपलब्ध न हो तो नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा।	"सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट अथॉरिटी) से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी (अथॉरिटी) से है, जिनके द्वारा मानचित्र को अनुमोदित किया जाता है। संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण / विकास प्राधिकरण /नगर निकाय/ नगर महापालिका एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		जिला पंचायत द्वारा मानचित्र को अनुमोदित किया जाएगा।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-633/77-6-2019-एल.सी.02/2018, दिनांक 05.09.2019 द्वारा निर्गत ''उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली की शेष प्राविधान/शर्ते यथावत् रहेंगी।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2020/1223(1)/77-6-20-एल0सी0-02/2018टी.सी.2तद्दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्राधिकार प्राप्त समिति के मा0 सदस्यगण।
7. समस्त मंडलायुक्त /जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर उ0प्र0।
9. अधिशासी निदेशक, उद्योग उद्योग बन्धु ,12-सी, माल॔ एवेन्यू, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक पिकप उत्तर प्रदेश।
11. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्राणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
12. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-6
14. नियोजन अनुभाग-1
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in